संख्या-आई/1450039 / 9-8099/8/2023
ई-1731385

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषयः- अनुदान संख्या-37 के संबंधित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय / बचत का विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-8/240/360/बजट व्यय/ 2025-26, दिनांक 22.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर पंचायत कंचौसी जनपद कानपुर देहात को प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 149.290 लाख के कोषागार से आहरित नही होने से लैप्स हो जाने के कारण प्रश्नगत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- आई/1256418/2026/9-8002(002)/3/2023, दिनांक 05 मार्च, 2026(प्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं विकास प्रदेश के 18 नागर निकायों को रू. 6295.9 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि कुल रू0 3147.95 लाख (रूपये इकतीस करोड़ सैतालीस लाख पंचानवे हजार मात्र) अवमुक्त किया गया। उक्त 18 निकायों में से नगर पंचायत कंचौसी, जनपद कानपुर देहात हेतु रू0-298.58 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि कुल रू0 149.290 लाख अवमुक्त की गयी, जो कतिपय कारणवश वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक कोषागार से निकाय के खाते में आहरित नहीं होने के कारण लैप्स हो गयी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 2026 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत नगर पंचायत कंचौसी, जनपद कानपुर देहात हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 149.290 लाख, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक कोषागार से निकाय के खाते में आहरित नहीं होने के कारण लैप्स हो गयी, को उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 2026 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,49,29,000/- (रूपये एक करोड़ उनचास लाख उनतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जांच कराकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन निदेशालय / महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2027 तक होगी।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

तदनुसार शासनादेश संख्या-आई/1256418/2026/9-8002(002)/3/2023, दिनांक 05 मार्च, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 02-09-2026 11:37:58

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना की धनराशि को निकाय के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु योजना के लिए राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खाते के पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तत्काल निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PARAS NATH
Date: 02-09-2026 12:30:00

(पारस नाथ)
अनुसचिव ।